

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हसाकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे.

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में राष्ट्रीय राजमार्ग-123 से पॉलगांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0:-3359 / 111(2) / 14-77(प्रा०आ०) / 2013. दिनांक 26-05-2014 के द्वारा मैं युझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि�०वि० टिहरी द्वारा जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र-यमुनोत्री में राष्ट्रीय राजमार्ग-123 से पॉलगांव तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु उपलब्ध कराये प्रथम चरण के आगणन, जिसकी लम्बाई 3.00 किमी० तथा लागत ₹ 58.59 लाख है, पर ₹ ३००००००० वित्त द्वारा औषित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ ५८.५९ लाख (₹ अठवावन लाख उन्नर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु ₹ ०.१० लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के अंधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समर्यबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764 / 111(2) / 10-17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विशेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उताना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ने बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नज़र रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रयत्नित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्टोरिस्मेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्वत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट ऐनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047 / XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्वत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन०पी०वि०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिपिटंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखार्थीर्शक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

P.C. Attested
सहायक/अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि�०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता होगा।

वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्करण नान्तरांत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सङ्करण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो कार्य की स्वीकृति स्वतः नियमानुसार किया जायेगी।

प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप व्यवहार आंशिक रूप से विवरणित कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते तदनुसार कार्यवाही की जाय।

इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुबाद-22-लेखाधीर्षक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों -आयोजनागत-10-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 119/XXVII(2)/2015 दिन:- 24 जुलाई, 2015 को त उचित समय से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(असविन्द सिंह इयांकी)
अपर सचिव

ख्या- 5603 / 111(2) / 15-30(ग्रामीण) / 2015 तददिनांक।

वेलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., टिहरी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोशाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिकारी लो०नि०वि०, उत्तरकाशी।
9. गार्ड बुक।

21/४/२०१५ ४/४/१५

मुख्य कार्रवाई कोशिकार्थी अभियन्ता
मुख्य कार्रवाई कोशिकार्थी अभियन्ता

मुख्य कार्रवाई कोशिकार्थी अभियन्ता
मुख्य कार्रवाई कोशिकार्थी अभियन्ता

— 15/— (८)

SH
R.S.

P.C. Ahmed डॉ।
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

अज्ञा से,
(सहायक अभियन्ता)
उप सचिव